सरकार ई- कॉमर्स साइट पर आने वाले निर्यातकों को रियायतें देगी

निर्यातक विश्व में आसानी से बेच सकेंगे अपने उत्पाद

नई नीति

■ अजित खरे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के निर्यातक अब आसानी से विश्व बाजार में अपने उत्पाद बेच सकेंगे। यूपी सरकार इंटरनेशनल ई-कामर्स प्लेटफार्म पर इन उत्पादों को लाने के लिए कई तरह की रियायतें देगी। माल के प्रचार-प्रसार से लेकर डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने के लिए अधिकतम तीन लाख रुपये सालाना दिए जाएंगे।

नई निर्यात नीति -2025 में इसके लिए प्रावधान किया गया है। एकमुश्त इन्सेंटिव के रूप में फीस का 75 प्रतिशत सरकार देगी। यही नहीं सरकार ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स (ओएनडीसी) से करार करेगी। कंपनी व माल के प्रचार-प्रसार के लिए वेबसाइट बनाने, कैटलाग बनाने, डिजिटल प्लेटफार्म पर मार्केटिंग व सोशल मीडिया पर खर्च करने के लिए कुल खर्च का 75 प्रतिशत हर साल दिया जाएगा। यह अधिकतम एक लाख रुपये होगा। डिजिटल कंटेंट व वर्चुअल ट्रेड फेयर के लिए खर्च का 75 प्रतिशत अधिकतम 75 लाख मिलेंगे। इसमें जरूरी है कि मेले में 75 प्रतिशत खरीददार विदेशी होने चाहिए। कम से कम 100 करोड़ रुपये वाली परियोजनाओं को खासतौर पर बढ़ावा दिया जाएगा। निर्यात कारोबार बढ़ाने को नव निर्यात केंद्रित विशिष्ट परियोजना शुरू होगी। इसमें 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रति निर्यातक होगी। यह अधिकतम 10 करोड़ रुपये होगी। यह पहल निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगी। इसमें जमीन व्यवस्था खुद निवेशक को करनी होगी।

03 लाख रुपये सालाना दिए जाएंगे प्रचार के लिए

खास बातें

- यूपी के कुल निर्यात में 70 प्रतिशत हिस्सा एमएसएमई का है
- यूपी का कुल निर्यात वर्तमान में 170 लाख करोड़ रुपये का है
- यूपी से निर्यात वाले पांच शीर्ष देश यूएसए, यूएई, यूके नेपाल व जर्मनी
- पंजीकृत निर्यातकों की संख्या पांच साल में दूनी की जाएगी।

उत्तर प्रदेश निर्यात रणनीति कमेटी बनेगी

उत्तर प्रदेश निर्यात रणनीति कमेटी बनेगी। निर्यात आयुक्त की अध्यक्षता में यह कमेटी जिलावार निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देगी और एक्शन प्लान तैयार करेगी। मार्केट रिसर्च चेयर स्थापित होंगी। यह पीठ आईआईटी व आईआईएम व आईआईएफटी में स्थापित होंगी और यह निर्यात का एक्शन प्लान तैयार करेंगी। इसके अलावा मार्केट इंटलीजेंस के लिए पांच करोड़ का फंड बनेगा। 10 शीर्ष राज्यों के निर्यात का अध्ययन भी होगा।